

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

## 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जीएसटी व्यवस्था के बारे में उद्योग जगत का मार्गदर्शन करने के लिए जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की

Posted On: 06 JUL 2017 8:58PM by PIB Delhi

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नई कर व्यवस्था के बारे में उद्योग जगत का मार्ग दर्शन करने के लिए अपने कार्यालय में 4 सदस्यीय सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्यों से टोल फ्री नम्बर 1800111175 या #AskonGSTFPI पर सम्पर्क किया जा सकता है। अतिरिक्त विवरण पर http://www.mofpi.nic.in से हासिल की जा सकती है।

मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से जीएसटी के कार्यान्वयन और उसमें सहायता के लिए एक जीएसटी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ एमओएफपीआई से संबंधित प्रमुख उद्योग और कारोबारी संस्थाओं को यह टैक्स लागू करने के लिए हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह प्रकोष्ठ मंत्रालय से संबंधित किसी भी क्षेत्र के समक्ष आ रहे मसलों को सुलझाने के लिए संपर्क के प्रथम केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। जीएसटी प्रकोष्ठ, जीएसटी कानून, नियमों, दर संरचना आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी से संपन्न होगा।

इस प्रकोष्ठ की अध्यक्षता आर्थिक सलाहकार श्री बिजय कुमार बेहरा करेंगे और वरिष्ठ विपणन अधिकारी श्री जी श्रीनिवासन, सहायक निदेशक श्री एस एन अहमद, सहायक निदेशक श्री बिक्रम नाथ इसके सदसय होंगे।

मंत्रालय जीएसटी के बारे में उद्योग जगत को जानकारी प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रमों के आयोजन की प्रक्रिया में है और उसने नई कर व्यवस्था के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए विचार गोष्ठियों के आयोजन की योजना भी तैयार की है।

पत्र सूचना कार्यालय ने भी जीएसटी के बारे में विशेष वेब पेज http://pib.nic.in/gst तैयार किया है जिस पर नई कर व्यवस्था के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी होगी। इसमें जीएसटी के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की अब तक की समसत प्रेस विज्ञप्तियां होंगी। इस वेब पेज पर जीएसटी के बारे में विभिनन प्रकार की प्रसत्तियां, एफएक्य आदि भी होंगे।

वीके/आरके/एमबी-1986

(Release ID: 1494786) Visitor Counter: 15









in